

आदेश

राज्य सरकार के आदेश क्रमांक एफ.14(1) एफ.डी.(नियम)/2013-11 दिनांक 28.06.2013 एवं राजस्थान सिविल सेवा (संशोधित चेतन) नियम 2017 एवं आदेश क्रमांक एफ 15(1) एफडी/रूल्स/2017/पी.टी. जयपुर दिनांक 06.10.2023 में उल्लेखित प्रावधानों को दृष्टिगत रखते हुए निम्नलिखित नर्सिंग ऑफीसर/महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता जिन्होंने 09,18 वर्ष की सेवा पूर्ण कर ली है, को उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से निम्नानुसार एसीपी/एमएसीपी स्वीकृत की जाती है:-

क्र. सं.	कर्मचारी का नाम/पदनाम	पदस्थापन जिला	प्रथम नियुक्ति तिथि	देय तिथी/अवधी	पे-लेवल	देय-पे लेवल
01.	यशोदा बिन्दल (नर्सिंग ऑफीसर)	भरतपुर	28.11.1998	28.11.2016 18 वर्ष	एल-11	एल-12
02.	उषा जादौन (महिला स्वा.कार्य.)	घौलपुर	07.01.2016	07.01.2025 9 वर्ष	एल-08	एल-10

नोट:-

1. यदि उक्त कर्मिकों में से किसी के 01.06.2002 के पश्चात् तीसरी संतान है तो यह आदेश उन पर लागू नहीं होगा।

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर

- क्रमांक-नर्सिंग/भरतपुर/20/2025/69
प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-
1. संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, जोन-भरतपुर।
 2. प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, भरतपुर/घौलपुर।
 3. सम्बन्धित कर्मचारी द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
 4. प्रमारी, आई.टी.सेल को बैचसाईट पर अपलोड वास्ते।
 5. आदेश/निजीपत्रवाली।

दिनांक-11-03-2025

निदेशक (अराजपत्रित)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ
राजस्थान जयपुर